लोक सभा अध्यक्ष ने सदस्यों को व्यवधान की रणनीति को नकारने तथा बहस और चर्चा का रास्ता अपनाने की सलाह दी

...

राज्य के तीनों अंगों को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष

...

पक्ष और प्रतिपक्ष, सहमति और असहमति संसदीय लोकतंत्र की आत्मा हैं: लोक सभा अध्यक्ष

...

विपक्ष को संसदीय गरिमा और मर्यादा के स्थापित मापदंडों के भीतर असहमति व्यक्त करनी चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष

...

सदन में अनुशासन और शालीनता सर्वोपरि है: लोक सभा अध्यक्ष

...

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को पीठासीन अधिकारी के निर्णयों का सम्मान करना चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष

...

जन प्रतिनिधियों की सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि वे सदन में लोगों के मुद्दों को कितनी ईमानदारी से उठाते हैं : लोक सभा अध्यक्ष

...

एक अच्छे विधायक के लिए आवश्यक है कि उसे नियमों और चर्चाधीन विषयों का अच्छा ज्ञान हो और वह प्रौद्योगिकी का उपयोग करे : लोक सभा अध्यक्ष

...

लोक सभा अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ विधानमंडल के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया

...

नई दिल्ली/कैंप कार्यालय, रायपुर; 20 जनवरी, 2024: लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने आज छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर में विधान सभा सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत भी की।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, श्री अरुण साव; छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य, लोक सभा के महासचिव, और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, श्री सतीश महाना भी उद्घाटन सत्र में शामिल हुए।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, श्री बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के तीनों अंगों को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए। चूँकि राज्य के तीनों अंगों को उनकी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं, इसलिए इन अंगों की शक्तियों और कार्यों में दोहराव नहीं होना चाहिए।

विधानमंडलों में गरिमा और शालीनता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए, श्री बिरला ने विधायकों से लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए सदन के मंच का उपयोग

करने का आग्रह किया। भारत के समृद्ध संसदीय लोकतंत्र के बारे में बात करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति और असहमति संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन असहमति संसदीय गरिमा और मर्यादा के स्थापित मापदंडों के भीतर व्यक्त की जानी चाहिए। श्री बिरला ने यह भी कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, तो सभी सदस्यों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मिलकर काम करना चाहिए।

इसके अलावा, सदन में आसन की गरिमा को सर्वोपरि बताते हुए, श्री बिरला ने कहा कि सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों को आसन के निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी के सम्मान से लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास मजबूत होगा। श्री बिरला ने सदस्यों को व्यवधान की रणनीति को नकारने तथा बहस और चर्चा का रास्ता अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सदन में सार्थक बहस से लोगों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री बिरला ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों को ऐसा आचरण करना चाहिए जो अन्य विधानसभाओं के मिसाल बने।

विधि निर्माताओं और जन प्रतिनिधियों के रूप में विधायकों की भूमिका के बारे में बात करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि जन प्रतिनिधियों की सफलता इस बात से मापी जाती है कि कि वे जनता की समस्याओं को कितनी निष्ठा से अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने सदस्यों को लोगों के मुद्दों और सरोकारों को सक्रिय और सशक्त रूप से व्यक्त करने और उनके कल्याण तथा राज्य और राष्ट्र की प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने का सुझाव दिया। श्री बिरला ने कहा कि लोगों को यह भरोसा है कि उनके प्रतिनिधि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे उन उम्मीदों पर खरे उतरें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करें। इसके साथ ही उन्हें सभी हितधारकों के साथ परामर्श भी करना चाहिए।

श्री बिरला ने इस बात का उल्लेख किया कि अधिक प्रभावी विधायक बनने के लिए उन्हें विविध विषयों और नियमों की जानकारी होनी चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदस्यों को सदन में अधिक समय बिताना चाहिए और दूसरों के अनुभव और विशेषज्ञता से सीखना चाहिए। श्री बिरला ने यह भी कहा कि जितना अधिक वे सीखेंगे, उतना अधिक प्रभावी ढंग से वे अपनी बात कहने में सक्षम होंगे। सदस्यों को पता होना चाहिए कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए क्योंकि इससे उन्हें विधि निर्माण में

मदद मिलेगी। उन्होंने सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रभावी ढंग से निर्वहन और लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की भी सलाह दी। श्री बिरला ने कहा कि नियमों और विविध विषयों के ज्ञान के साथ ही प्रौद्योगिकी के उपयोग से वे बेहतर विधायक बनेंगे।

यह आशा व्यक्त करते हुए कि दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम सदस्यों, विशेषकर नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए लाभकारी होगा, श्री बिरला ने कहा कि इस कार्यक्रम की विषयवस्तु तथा वरिष्ठ नेताओं और विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से नवनिर्वाचित सदस्यों को निश्चित रूप से विधायी मामलों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि नवगठित विधान सभा में महिला विधायकों की संख्या पिछली विधानसभा की तुलना में 18 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिश हो गई है।

छत्तीसगढ़ की आर्थिक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि यह युवा राज्य अपने निर्माण के बाद काफी तेजी से आगे बढ़ा है। श्री बिरला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं और सदस्यों से आग्रह किया कि वे विकास और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, श्री अरुण साव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में श्री बिरला ने प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर देकर और सदन में सदस्यों का विश्वास बढ़ाकर लोक सभा में एक नया इतिहास रचा है। श्री साव ने कहा कि लोक सभा अध्यक्ष के रूप में श्री बिरला के कार्यकाल के दौरान संसद के नये भवन का निर्माण किया गया जो अपने आप में एक गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है।

इससे पहले छत्तीसगढ़ विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरण दास महंत ने स्वागत भाषण दिया।

छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय कार्य, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।